न्यायालय अति0जिला कलेक्टर,टोंक

(सुखराम खोखर,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 01/2013
प्रविष्टि दिनांक 30.01.2013

सरकार जरिए तहसीलदार मालपुरा

—प्रार्थी

बनाम

नन्दलाल पुत्र श्रीकिशन जाति माली निवासी पचेवर तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0

—प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :— (1) श्री जुगनू शर्मा राजकीय अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री रामधन सैनी, अभिभाषक अप्रार्थी

अभिशंषा

दिनांक 30.01.2020

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार मालपुरा द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत प्रस्तुत किया है। आवेदन का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 3740 रकबा 14 बिस्वा,खसरा नम्बर 3741 रकबा 9 बिस्वा व खसरा नम्बर 3742 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम पचेवर तहसील मालपुरा मुताबिक खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2010 मे गै0मु0 नाडी/पाल भूमि दर्ज है। यह रकबा भू आवण्टन सलाहकार समिति के द्वारा दिनांक 24.07.1977 को रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा बद्री के नाम आवण्टित किया गया जिस पर दिनांक 03.02.1983 को जरिए नामान्तरकरण सं0 2891 से गैर खातेदारी दी गई एंव दिनांक 28.08.1984 से नामान्तरकरण सं0 3260 के द्वारा खातेदारी दर्ज की गई। विवादित उक्त भूमि हाल खसरा नम्बर 3740 रकबा 14 बिस्वा,खसरा नम्बर 3741 रकबा 9 बिस्वा व खसरा नम्बर 3742 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा नामान्तकरण संख्या 3922 से पांचू पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/2, रिधकरण पुत्र पोखर हि0 1/2 जाति जाट निवासी सा0 देह, नामान्तकरण संख्या 4147 पांचू पुत्र रामनाथ हि0 1/2 व घासी पुत्र रामनाथ हि0 1/2 जाति जाट सा0देह, नामान्तरकरण संख्या 4987 से रतना पुत्र मांगू जाति बागरिया सा0 देह एवं नामान्तरकण संख्या 5149 उक्त भूमि नन्द लाल पुत्र श्री किशन जाति माली सा0 देह के नाम जरिये विक्रय पत्र खातेदार के नाम स्वीकार हुआ है। नकल जमाबंदी सम्वंत 2059—2062 वाके ग्राम पचेवर में भूमि खसरा नम्बर 3740 रकबा 14 बिस्वा,खसरा नम्बर 3741 रकबा 9 बिस्वा व खसरा नम्बर 3742 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि नन्दलाल पुत्र श्री किशन जाति माली की खातेदारी में दर्ज है। तहसीलदार मालपुरा ने अपने प्रार्थना पत्र में उक्त आवण्टन को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल होने के कारण एंव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी0बी0सिविल जनहित याचिका सं0 1536/03 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

2-8-2004 की पालना में प्रस्तुत करते हुए विपक्षी के पक्ष में किया गया आवंटन एंव भरे गये नामान्तरकरण सं0 2891, 3260, 3922, 4147, 4987, व 5149 को निरस्त करने हैतु यह रेफरेन्स प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टंर किया गया एंव तलबी जरिए नोटिस विपक्षी की गई। बहस राजकीय अभिभाषक एंव अभिभाषक अप्रार्थी सुनी गई।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब पेश किया कि बदरी दरोगा को उक्त भूमि का आवंटन अवैधानिक रूप से नही हुआ है। भूमि का आवंटन नियमानुसार हुआ है। आवंटन के समय आवंटन भूमि की किस्म परिर्वतन कर भूमि की किस्म बारानी कर आवंटन किया गया है। अप्रार्थी ने दिनांक 18.01.1996 को खसरा नम्बर 3740 रकबा 14 बिस्वा,खसरा नम्बर 3742 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा,खसरा नम्बर 3739 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा किस्म जमीन बारानी तृतीय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रतना पुत्र मांगू बागरिया से 50,000 रूपये मे खरीद की थी,उसके पश्चात अप्रार्थी ने काफी रूपये लगाकर एंव परिश्रम कर उक्त जमीन को काश्त योग्य बनाया है। दिनांक 18.01.1996 से अप्रार्थी उक्त जमीन पर निरन्तर काश्त करता आ रहा है। आवंटन होने के बाद उक्त जमीन को बदरी दरोगा को नियमानुसार पहले गैर खातेदारी दी गई बाद मे खातेदारी दी गई है। खातेदारी दिये जाने के बाद नियमानुसार जमीन का बैचान हुआ है। अप्रार्थी ने उक्त जमीन को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की है और काश्त कर अपना एंव अपने परिवार का पालन कर रहा है। दिनांक 24.07.1977 को उक्त भूमि बदरी को आवंटन होने के बाद मदनलाल दरोगा ने उक्त जमीन का आवंटन निरस्त कराने हेतु आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) आवंटन नियम माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के फलस्वरूप न्यायालय द्वारा दिनांक 25.10.1983 को निर्णय पारित कर प्रार्थना पत्र खारिज कर बदरीलाल दरोगा का आंवटन बहाल रखा गया था। अप्रार्थी के पास जो भूमि है वह राज0 टि0एक्ट 1955 की धारा 16 मे वर्णित भूमि नही है।नियमानुसार अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि को निरस्त नही किया जा सकता है।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एंव निवेदन किया कि विवादित भूमि खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2010 में गै0मु0 नाडी/पाल भूमि दर्ज है एवं भूमि का आकार नाडी दर्ज थी, उक्त नाडी/पाल भूमि होने के कारण आवण्टन किया जाना राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी0बी0सिविल याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 2.08.2004 की पालना में विपक्षी के पक्ष में किया गया आवण्टन एवं भरे गये नामान्तकरण संख्या 2891 गेर खातेदारी एंव खातेदारी का नामान्तरकरण सं0 3260 तथा 3922,4147,4987 व 5149 निरस्त कराने हैतु रेफरेन्स प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस मे उल्लेख किया कि अप्रार्थी ने दिनांक 18.01.1996 को खसरा नम्बर 3740 रकबा 14 बिस्वा,खसरा नम्बर 3742 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा,खसरा नम्बर 3739 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा किस्म जमीन बारानी तृतीय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रतना पुत्र मांगू बागरिया से 50,000 रूपये मे

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

खरीद की थी,उसके पश्चात अप्रार्थी ने काफी रूपये लगाकर एंव परिश्रम कर उक्त जमीन को काश्त योग्य बनाया है। दिनांक 18.01.1996 से अप्रार्थी उक्त जमीन पर निरन्तर काश्त करता आ रहा है। आवंटन होने के बाद उक्त जमीन को बदरी दरोगा को नियमानुसार पहले गैर खातेदारी दी गई बाद मे खातेदारी दी गई है। खातेदारी दिये जाने के बाद नियमानुसार जमीन का बैचान हुआ है। अप्रार्थी ने उक्त जमीन को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की है और काश्त कर अपना एंव अपने परिवार का पालन कर रहा है। अप्रार्थी के पास जो भूमि है वह राज0 टि0एक्ट 1955 की धारा 16 मे वर्णित भूमि नही है।नियमानुसार अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि को निरस्त नही किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित हैं

राजकीय अभिभाषक की बहस एंव अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर मनन किया एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। नकल खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2010 में साबिक खसरा नम्बर 3740,3741,3742 गै0मु0 नाडी/पाल भूमि दर्ज है। भू आवण्टन सलाहकार समिति के द्वारा दिनांक 24.07.1977 को 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि बदरी पुत्र दुर्गालाल जाति दरोगा निवासी पचेवर के नाम आवण्टन किया गया है। आवण्टन आदेश की अनुपालना में बदरी को दिनांक 03.02.1983 को जरिए नामान्तकरण सं0 2891 गेर खातेदारी एंव दिनांक 28.08.1984 को नामान्तरकरण सं0 3260 के द्वारा खातेदारी अधिकार दे दिये गये। विवादित उक्त भूमि हाल खसरा नम्बर 3740 रकबा 14 बिस्वा,खसरा नम्बर 3741 रकबा 9 बिस्वा व खसरा नम्बर 3742 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा नामान्तकरण संख्या 3922 से पांचू पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/2, रिधकरण पुत्र पोखर हि0 1/2 जाति जाट निवासी सा0 देह, नामान्तकरण संख्या 4147 पांचू पुत्र रामनाथ हि0 1/2 व घासी पुत्र रामनाथ हि0 1/2 जाति जाट सा0देह, नामान्तरकरण संख्या 4987 से रतना पुत्र मांगू जाति बागरिया सा0 देह एवं नामान्तरकण संख्या 5149 उक्त भूमि नन्द लाल पुत्र श्री किशन जाति माली सा0 देह के नाम जरिये विक्रय पत्र खातेदार के नाम स्वीकार हुआ है।

अभिभाषक अप्रार्थी का तर्क है कि विवादित भूमि को अप्रार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 18.01.1996 से क्रय की है।

चूँकि विवादित उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड नकल खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2010 में गै0मु0 नाडी/पाल दर्ज होने से सार्वजनिक सम्पदा थी बदरी ने इस भूमि को भू आवण्टन सलाहकार समिति की राय से अपने पक्ष में आवण्टित करा कर पहले गैर खातेदारी एंव बाद में खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये। राज0 टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 के तहत ऐसी भूमियों का आवण्टन प्रतिबन्धित हैं। इससे स्पष्ट है कि दिनांक 24.07.1977 को विवादित भूमि बदरी के पक्ष में आवण्टित किया जाना राज0 टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। तहसीलदार मालपुरा का यह प्रकरण माननीय राज0 उच्च न्यायालय की डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 2-8-2004 की पालना में प्रस्तुत किया है जो स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता हैं।

फलतः माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रकरण इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि बदरी पुत्र दुर्गालाल जाति दरोगा निवासी पचेवर तहसील मालपुरा को

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

प्रकरण संख्या 75/1977 दिनांक 24.07.1977 द्वारा खसरा नम्बर 3740 रकबा 14 बिस्वा,खसरा नम्बर 3741 रकबा 9 बिस्वा व खसरा नम्बर 3742 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि वाके ग्राम पचेपर मे किया गया आवंटन तथा इस आदेश की पालना मे श्री बदरी के नाम स्वीकार किया गया गैर खातेदारी का नामान्तकरण सं0 2891 दिनांक 03.02.1983 एंव खातेदारी का नामान्तकरण सं0 3260 दिनांक 28.08.1984 तथा अप्रार्थी व अन्य के पक्ष मे स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 3922,4147,4987 व 5149 को निरस्त कर हाल आराजी खसरा नम्बर 3740 रकबा 14 बिस्वा,खसरा नम्बर 3741 रकबा 9 बिस्वा व खसरा नम्बर 3742 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि वाके ग्राम पचेवर को पुनः गै0मु0 नाडी/पाल भूमि दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखराम खोखर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukh Ram Khokher
Date: 2020.03.03 16:04:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: